

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल-मिठौड़ा

राजस्व आवेदन संख्या :-193/2024

प्रार्थी:-

वागराम पुत्र जैसाराम जाति मेघवाल निवासी मिठौड़ा तहसील
सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. खीमाराम पुत्र अनाराम जाति मेघवाल निवासी सिणधरी चासीरा तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
3. बीजा पुत्र उकाराम जाति मेघवाल निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मु.सकु पत्नी उकाराम जाति मेघवाल निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
5. सविया पुत्र सांवला जाति मेघवाल निवासी मिठौड़ा तहसील सिवाना जिला बालोतरा
6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक शाखा पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
1956

उपस्थित:-श्री नेहपालसिंह
प्रार्थी वकील

--: आदेश ::--

दिनांक :-09.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत पेश किया है। संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1459/317 व 1460/317 कुल रकबा 05.7797 हैक्टेयर ग्राम मिठौड़ा तहसील सिवाना में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात-यथा आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत मिठौड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उसका वास्तविक नाम वागराम ही अंकित है, किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम वागराम के स्थान पर खीमाराम लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना ने ग्रामीण सेवा शिविर शिविर स्थल मिठौड़ा में मौका जॉच रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य में अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत मिठौड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किये।

दौराने बहस प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसका वास्तविक नाम वागराम है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का त्रुटिवश नाम खंगीया लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ग्राम पंचायत मिठौड़ा द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में उनका नाम वागराम दर्ज है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम वागराम होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मिठौड़ा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 1459/317 व 1460/317 कुल रकबा 05.7797 हैक्टेयर (नवीनतम खसरा संख्या 706 व 710 कुल रकबा 05.7746 हैक्टेयर) भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम 'खंगीया' के स्थान पर 'वागराम उर्फ खंगीया' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 09.10.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 शिविर स्थल मिठौड़ा में सरे आम सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बिहार)